

प्रेस नोट थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर



सराहनीय कार्य दिनांक : 06.02.2026

थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित पुरुष के चहरे पर तेजाब डालने वाली महिला अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन, श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के नेतृत्व में चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 05.02.2026 को वादिनी द्वारा थाना पुवायाँ पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 085/2026 धारा 124(1)/352 बीएनएस बाबत अभियुक्ता सरला देवी पत्नी देवेश कुमार निरो ग्राम वीरमपुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादिनी के पुत्र दृगपाल के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौच करना व मना करने पर वादिनी के पुत्र के ऊपर तेजाब डालकर घायल कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था ।

आज दिनांक 06.02.2026 को थाना पुवायाँ पुलिस की टीम द्वारा मुख्यिक खास कि सूचना पर वीरमपुर जाने वाले रास्ते पर सड़क के तिराहे से अभियुक्ता सरला देवी पत्नी देवेश कुमार निरो ग्राम वीरमपुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर को उसके जुर्म धारा 124(1)/352 बीएनएस से अवगत कराते हुए समय करीब 10.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मात्र 0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

श्रीमती सरला देवी पत्नी देवेश कुमार उम्र करीब 37 वर्ष निरो ग्राम वीरमपुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 085/2026 धारा 124(1)/352 बीएनएस थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 06.02.2026 को समय करीब 10.45 बजे, वीरमपुर जाने वाले रास्ते पर सड़क के तिराहे से ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

अपराध निरीक्षक श्री राजेश कुमार

म0उ0निरो सुश्री मनीषा चौधरी

हे0का0 548 धीरज कुमार

म0का0 822 आशिफा परवीन

पूछताछ विवरण

अभियुक्ता ने पूछने पर बताया कि दृगपाल मेरे पति के मौसेरे भाई है । रिश्ते में मेरे देवर लगते हैं । वर्ष 2021 में दृगपाल ने मेरे साथ छेड़खानी की थी, व उसके भाईयों ने भी मारपीट की थी । जिसका मैंने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था । जिसकी तारीखे चल रही है । दृगपाल उक्त मुकदमें मे सुलह हेतु आये दिन मुझसे कहता था तथा मेरे ऊपर दबाव बनाता था । कल भी दृगपाल की मुझसे पुराने मुकदमें को लेकर कहा सुनी हो गयी थी । जिसके बाद मैंने गुस्से मे आकर ये कदम उठाया था ।